सचिवालय, नगर निगम, आगरा।

कार्यकारिणी समिति के

अठ्ठाइसवें अधिवेशन की

बैठक

का

कार्यवृत्त

(पृष्ठ 1 से 10 तक)

दिनांक 26.03.2016

इन्द्र विकम सिंह,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा

इन्द्रजीत आर्य
महापौर
नगर निगम, आगरा

सचिवालय, नगर निगम, आगरा

माननीय महापौर महोदय के आदेशानुसार कार्यकारिणी समिति के 28(अठ्ठाइसवें) अधिवेशन की बैठक ांक 26.03.2016 को मध्याह्न 11:00 बजे नगर निगम कार्यकारिणी कक्ष में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवृत्त म्न प्रकार है :–

उपस्थिति :–

01.	श्री इन्द्रजीत आर्य	महापौर/सभापति	02.	श्री राकेश जैन	उप सभापति
03.	श्री अशोक बंसल	सदस्य	04.	श्री शोभा राम राठौर	सदस्य
05.	हाजी बिलाल कुरैशी	सदस्य	06.	श्री जितेन्द्र पाराशर	सदस्य
07.	श्री श्रीकृष्ण	सदस्य	08.	श्री पप्पू उस्मानी	सदस्य
09.	श्री मनोज कुमार सोनी	सदस्य	10.	श्री विजय सिंह	सदस्य

अधिकारीगण :–

01.	श्री इन्द्र विक्रम सिंह	नगर आयुक्त
02.	श्री अनिल कुमार	उप नगर आयुक्त
03.	श्री हरी राम गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
04.	श्री आर.के. सिंह	वित्त अधिकारी, जलकल विभाग
05.	श्री संजय प्रताप सिंह	मुख्य नगर लेखा परीक्षक
06.	श्री संजय कटियार	अधिशासी अभियंता, प्रभारी, मार्गप्रकाश/कर्मशाला
07.	श्री सुदर्शन सिंह	लेखा अधिकारी
08.	श्री राम गोपाल पाण्डे	लेखाकार, सामान्य
09.	श्रीमती मन्जू रानी गुप्ता	महा प्रबन्धक, जलकल विभाग
10.	श्री हाशिम बक्श	लेखा अधिकारी, जलकल विभाग
11.	श्री चन्दन सिंह	सचिव प्रबन्धक, जलकल विभाग

मा0 महापौर – द्वारा सभी मा0 कार्यकारिणी सदस्यों, एवं अधिकारियों का स्वागत करते हुए होली के पावन पर्व पर हार्दिक शुभ कामनायें दी गयीं। विगत दिनों मा0 नगर विकास मंत्री जी के भ्रमण के दौरान आगरा में हुए विकास कार्यों की समीक्षा में प्रसन्नता व्यक्त की गयी, मा0 पार्षद श्रीमती शालिनी शर्मा के क्षेत्र में काफी विकास कार्य हुए हैं, इसी प्रकार अन्य मा0 पार्षदों के क्षेत्र में भी खूब विकास कार्य हुए हैं। आप लोगों की जागरूकता एवं परिश्रम के फलस्वरूप पूरे शहर में हुए इन सभी विकास कार्यों का श्रेय कार्यकारिणी सदस्यों एवं मा0 पार्षदगण, नगर निगम सदन को ही जाता है। इसके लिए कार्यकारिणी समिति के समस्त सदस्यगण एवं सभी मा0 पार्षदगण बधाई के पात्र हैं। शासन से जो भी नये शासनादेश आये हैं उन्हें कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़ने हेतु नगर आयुक्त को निर्देशित करता हूँ इसके साथ ही कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की घोषणा की गई।

नगर आयुक्त – द्वारा मा0 महापौर एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को होली की हार्दिक शुभ कामनायें दी गयीं एवं कार्यकारिणी समिति की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए, मा0 महापौर के निर्देशानुसार श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग–5, लखनउ' के महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता शासनादेश संख्या–399/नौ–5–2016–265सा/2015 दिनांक 24 फरवरी, 2016 को कार्यकारिणी समिति के समक्ष पढ़कर सुनाया गया :–

श्रीप्रकाश सिंह, सचिव, उ0प्र0 शासन, नगर विकास अनुभाग–5, लखनऊ

। – 1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश; 2. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश

3. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

त्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता संख्या 399/नौ–5–2016–265सा/2015 दिनांक 24 फरवरी, 2016

विषय :– **नगर विकास विभाग के अन्तर्गत विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों में शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर विकास विभाग के अन्तर्गत विकास कार्यों हेतु धनराशि आवंटित की जाती है। उक्त धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलालेख/पट्टिका में केवल अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी एवं पार्षदों के नाम अंकित करवाये जा रहे हैं, वह गलत है। शासन द्वारा इसे गम्भीरता से लिया गया है।

2. उक्त प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने हेतु प्रदेश की नागर निकायों/जिला प्रशासन द्वारा निम्नांकित दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है–

1– नगर विकास विभाग से संबंधित शासकीय धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित शिलालेख/पट्टिकाओं में मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाय।

2– वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कराये गये विकास कार्यों से सम्बन्धित पूर्व में लगाये गये शिलालेख/पट्टिकाओं में तत्काल उपरोक्तानुसार संशोधन कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

3– सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी शासन को आश्वस्त करेंगें कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

3. उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन एवं नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनउ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/– श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव।

संख्या– 399(1)/नौ–5–2016–265सा/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त महापौर/मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, सूडा/नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनउ।
4. प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, सीएण्डडीएस, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनउ।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल।
6. गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
उमा शंकर सिंह,
विशेष कार्याधिकारी।

सर्वश्री राकेश जैन, उप सभापति, हाजी बिलाल कुरैशी, अशोक बंसल, शोभाराम राठौर, जितेन्द्र पाराशर, श्रीकृष्ण, पप्पू उस्मानी, मनोज कुमार सोनी, विजय सिंह आदि सदस्यगण – द्वारा उपरोक्त शासनादेश के सम्बन्ध में एक आवश्यक प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करते हुए सर्वसम्मति से कहा गया कि जो नियम नगर निगम के लिए शासन द्वारा लागू किये गये हैं वह नियम विधायक निधि पर भी लागू होने चाहिए और विधायक निधि के विकास कार्यों में क्षेत्रीय पार्षद का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए।

<u>...ापति महोदय की विशेष अनुमति से –</u>
<u>...क प्रस्ताव संख्या – 1</u>

राकेश जैन, उप सभापति – द्वारा कार्यकारिणी समिति के समक्ष निम्न प्रस्ताव पढ़ा गया :–

आगरा नगर निगम द्वारा जो निर्माण कार्य कराये जाते हैं वह निर्माण कार्य पार्षद के द्वारा प्रस्ताव तैयार करके निर्माण कार्य कराये जाते हैं। जो वार्ड में निर्माण कार्य होता है। वह कार्य वार्ड के पार्षद द्वारा कराया जाता है। उसमें क्षेत्रीय विधायक का कोई भी योगदान नहीं रहता है। क्योंकि जो कार्य विधायक निधि से होता है उसमें महापौर, नगर आयुक्त एवं पार्षद का नाम शिला पट्टिका पर नहीं लिखवाया जाता है। अगर पार्षद द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसमें विधायक का नाम नहीं होना चाहिए या फिर जो नियम नगर निगम के लिये शासन द्वारा लागू किये गये हैं, वह नियम विधायक निधि पर भी होने चाहिए, उसमें पार्षद का नाम भी जोड़ा जाना चाहिए।

अतः कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की सहमति है कि इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी एव सदन से पास करके शासन को भेजा जाये।

सर्वश्री अशोक बंसल, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, जितेन्द्र पाराशर, श्रीकृष्ण, पप्पू उस्मानी, मनोज कुमार सोनी एवं विजय सिंह सभी सदस्यगण द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करते हुए नगर निगम सदन में अनुमोदनार्थ भेजे जाने हेतु संस्तुति की गयी।**

<u>आवश्यक प्रस्ताव संख्या – 2</u>

श्री इन्द्रजीत आर्य, सभापति – द्वारा कार्यकारिणी के समक्ष निम्न प्रस्ताव पढ़ कर प्रस्तुत किया गया :–

जैसा कि अवगत हैं कि सफाई कर्मचारियों को रु0 250/– प्रति दिन पारिश्रमिक शासनादेशानुसार दिया जाता है, उसी के तारतम्य में अनुरोध है कि अन्य दैनिक वेतन भोगी/बाह्य सेवा प्रदाता (our sourcing) कर्मचारियों जो रु0 120/– प्रति दिन पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें रु0 120/– के स्थान पर रु0 200/– प्रति दिन पारिश्रमिक दिये जाने हेतु प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत किया गया।

अतः कार्यकारिणी निश्चित करती है कि बाह्य सेवा प्रदाता (our sourcing) कर्मचारियों पम्प ऑपरेटर, मिस्त्री, डाईवर, क्लीनर, चौकीदार, बेलदार, हैल्पर, विद्युत विभाग के लाइनमैन, हैल्पर, मृत पशुओं के निस्तारण में लगे कर्मचारियों एवं अन्य ऐसे समस्त कर्मचारियों को रु0 120/– के स्थान पर रु0 200/– प्रति दिन पारिश्रमिक दिया जाये, तदनुसार नगर आयुक्त को निर्देशित करती है।

सर्वश्री अशोक बंसल, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, जितेन्द्र पाराशर, श्रीकृष्ण, पप्पू उस्मानी, मनोज कुमार सोनी एवं विजय सिंह सभी सदस्यगण द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया गया।

निर्णय :– **उपरोक्त प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करते हुए नगर निगम सदन में अनुमोदनार्थ भेजे जाने हेतु संस्तुति की गयी।**

नगर आयुक्त – द्वारा एजेन्डे के बिन्दु–1 कार्यकारिणी समिति के 27वें अधिवेशन की बैठक दि0 14.01.2016 के कार्यवृत्त की पुष्टि किये जाने हेतु कहा गया।

सर्वश्री अशोक बंसल, हाजी बिलाल कुरैशी, शोभाराम राठौर, जितेन्द्र पाराशर, श्रीकृष्ण, पप्पू उस्मानी, मनोज कुमार सोनी एवं विजय सिंह आदि सभी सदस्यगण – द्वारा कार्यकारिणी समिति के 27वें अधिवेशन की बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गयी।

मा0 महापौर – द्वारा कार्यकारिणी समिति के 27वें अधिवेशन की बैठक दिनांक 14.01.2016 के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि किये जाने की घोषणा की गयी।

शोभाराम राठौर, हाजी बिलाल कुरैशी, अशोक बंसल, विजय सिंह, मनोज कुमार सोनी आदि सभी गण – द्वारा कहा गया कि कार्यकारिणी समिति द्वारा जो प्रस्ताव पारित किये गये हैं उन पर कोई वाही नहीं हो रही है, उनके आगणन भी अभी तक नहीं बने हैं, यह स्थिति आपत्तिजनक है। र्यकारिणी समिति के पारित प्रस्तावों पर कब कार्यवाही होगी? नये मुख्य अभियन्ता ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है लेकिन वे आज कार्यकारिणी समिति की बैठक में उपस्थित ही नहीं हैं।

साथ ही सभी सदस्यगण द्वारा नई एल.ई.डी. लाइटें मुख्य–मुख्य मार्गो पर लगवाये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

नगर आयुक्त – द्वारा कहा गया कि हर बार कार्यकारिणी समिति की बैठक में इस बिन्दु पर चर्चा की जाती है कि पारित प्रस्तावों पर कार्यवाही नहीं हो रही है। मुख्य अभियन्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, वे अभी अवकाश पर हैं। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि रु0 15 लाख से ऊपर और रु0 20 लाख से नीचे के प्रस्तावों के आगणनों को तैयार कराकर एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें और यह सुनिश्चित कर लें कि अगले वित्तीय वर्ष के शुरू में ही इन सभी प्रस्तावों पर कार्य प्रारम्भ हो जाये। इनके अतिरिक्त रु0 10 लाख से उपर और रु0 15 लाख से नीचे की धनराशि के जो प्रस्ताव कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा दिये गये हैं उन पर भी आगणन तैयार करा लिये जायें और उन पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

कार्यकारिणी सदस्यों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह निश्चय किया गया कि नई एल.ई.डी. लाइटों को मुख्य–मुख्य मार्गों पर ही लगवाया जायेगा और वहाँ से उतरने वाली पुरानी लाइटों को शहर के अन्य स्थानों पर आवश्यकतानुसार लगवाया जायेगा।

मा0 महापौर के निर्देशानुसार नगर आयुक्त – द्वारा एजेन्डे के बिन्दु–2 प्रस्ताव संख्या–2 उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 148 के अधीन रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, प्राईवेट भारकस आदि पर लाईसेंस शुल्क की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ पढ़ा गया :–

प्रस्ताव संख्या – 02

उ0प्र0 नगर निगम की अधिनियम की धारा 148 के अधीन रिक्शा, तांगा, बैलगाड़ी, प्राईवेट भारकस आदि पर लाईसेंस शुल्क की दरों के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारण प्रस्ताव

क्र. सं.	मद	शासनादेश सं0 1887/नौ–9–97–2 3ज/97, दिनांक 9.6.1997 के अधीन प्रस्तावित दरें (रुपया)	वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की स्वीकृत दरें			वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तावित दरें		
			लाईसेन्स	टोकन फीस	पोलर फीस	लाईसेन्स	टोकन फीस	पोलर फीस
1	रिक्शा किराये पर	150.00 (लाईसेंस फीस)	50.00	2.00	5.00	50.00	2.00	5.00
2	रिक्शा निजी चालक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	रिक्शा ट्राली	150.00	50.00	5.00	5.00	50.00	5.00	5.00
4	ठेला/ठेली/दस्ती ठेल	100.00	50.00	5.00	5.00	50.00	5.00	5.00
5	रबरठेल/हाथठेल	25.00	40.00	5.00	5.00	40.00	5.00	5.00
6	बैलगाड़ी/भैंसागाड़ी/ ऊँटगाड़ी	25.00	35.00	5.00	5.00	35.00	5.00	5.00
7	ताँगा	50.00	50.00	0.00	5.00	50.00	0.00	5.00
8	प्राईवेट भारकस	50.00	50.00	5.00	5.00	50.00	5.00	5.00

उक्त प्रस्तावित दरें गत वर्ष की दरें जो कार्यकारिणी एवं नगर निगम सदन में स्वीकृत थीं, वहीं रखी गयी हैं।

वर्ष 2016–17 में माह जून, 2016 तक रिक्शा भर्ती नहीं कराने पर 01–07–2016 से रु010.00 अतिरिक्त चार्ज देना होगा.

श्री शोभाराम राठौर, हाजी बिलाल कुरैशी, अशोक बंसल, विजय सिंह, मनोज कुमार सोनी आदि सभी सदस्यगण – द्वारा कहा गया कि रिक्शा, टॉगा, बैलगाड़ी, प्राईवेट भारकस आदि पर लाइसेन्स शुल्क की दरों में कोई वृद्धि न की जाये तथा इस प्रस्ताव को नगर निगम सदन में अनुमोदनार्थ अग्रसारित कर दिया जाये।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से पारित करते हुए नगर निगम सदन में अनुमोदनार्थ भेजे जाने हेतु संस्तुति की गयी।**

नगर आयुक्त – द्वारा एजेन्डा के बिन्दु–3 प्रस्ताव संख्या–3 सिन्धी मार्केट/हॉस्पिटल रोड की वाउन्ड्री के सहारे स्थित स्टॉलों को सड़क चौड़ी करने हेतु उन्हें हटाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ पढ़ा गया :–

प्रस्ताव संख्या – 03

कृपया नगर मजिस्ट्रेट, आगरा का पत्र संख्या–192/एस0टी0 नगर दिनांक 2.2.2016 एवं पत्र संख्या–1734/न0म0(एस0टी0) दिनांक 21 अगस्त 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र हॉस्पीटल रोड पर एस0एन0बाउण्ड्री के सहारे स्थित सिन्धी मार्केट की 64 स्थाई दुकानों/खोकों के सम्बन्ध में है। उपरोक्त के सम्बन्ध में विभागीय आख्या दिनांक 31.8.2015 (बांई ओर पृष्ठ संख्या–4) अंकित की गयी। "हॉस्पीटल रोड स्थित सिंधी मार्केट की 64 दुकानों जिनकी अवधि दिनांक 31.3.2007 को समाप्त हो चुकी है। उक्त अवधि का नवीनीकरण हेतु सिन्धी मार्केट के दुकानदारों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उसके आधार पर सम्पत्ति विभाग द्वारा दिनांक 30.6.2007 को प्रस्ताव कार्यकारिणीं के समक्ष रखा गया। लेकिन उक्त बैठक में प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका। तद्परान्त पुरूषार्थीसंघ द्वारा नगर निगम के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका संख्या–57558/2007 दायर की गयी। उक्त रिट में पारित आदेश दिनांक 22.11.2007 के अनुपालन में वादी के प्रत्यावेदन का निस्तारण मा0 महापौर द्वारा किया गया। इस सम्बन्ध में सदन, कार्यकारिणीं समिति की बैठक दिनांक 16.1.2008 में पारित प्रस्ताव बहुमत से निष्प्रभावी किये जाने का विनिश्चय करता है। उपरोक्त के क्रम में श्री गिर्राज सिंह कुशवाह मा0 पार्षद द्वारा कहा गया कि उक्त प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–6325/2008 लम्बित है और साथ ही यह भी कहा कि किसी ऐसे विषय या तथ्य का निर्देश नहीं करेगा, जो न्यायिक निर्णय के लिये विचाराधीन हो। उपरोक्त के क्रम में मा0 महापौर द्वारा कहा गया कि प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या–3 के सम्बन्ध में मामला उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर हुई है। अतः इस पर इस सदन में कोई चर्चा नहीं हो सकती। (प्रस्ताव की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है)" उपरोक्त आख्या के क्रम में गत पृष्ठ–04 पर विभागीय आख्या दिनांक 31.8.2015 के क्रम में नगर निगम के अधिवक्ता से राय प्राप्त करने हेतु अपर नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 10.11.2015 के अनुपालन में राय दिनांक 21.12.2015 प्राप्त की गयी, जो पत्रावली के दांई ओर संलग्न है, का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त राय के अनुसार **वर्ष 1947 में सिन्धी शरणार्थियों को व्यवसाय हेतु नगर महापालिका द्वारा 64 अस्थाई स्टालों के भूखण्ड आवंटित कर दुकानें इस शर्त के साथ दी गयी थीं कि यदि सड़क चौड़ी करने के लिये भूमि की आवश्यकता होगी तो अस्पताल की दीवार के सहारे लगी स्टालों को हटा दिया जायेगा और इसके लिये दुकानदार कोई क्लेम नहीं करेगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में किया गया अनुबन्ध दिनांक 31.3.2007 को समाप्त हो चुका है। अनुबन्ध की शर्त संख्या–13 के अनुसार तथा शासन द्वारा जारी पत्र संख्या–750/रिट/नौ–7–15–235(रिट)/2015 दिनांक 19.10.2015 व रिट पिटीषन संख्या–184/2015 श्रीमती रामबती बनाम् उत्तर प्रदेश सरकार में दिये गये निर्देशों के अनुसार यदि दुकानदार नाली, फुटपाथ व सड़क का अतिक्रमण करके बैठे हैं तो उक्त शर्त व निर्देशों के अनुपालन में सड़क चौड़ी करने हेतु उन्हे हटाये जाने के लिये कार्यकारिणीं निर्णय लेने के लिये सक्षम है।**

अतः प्रस्ताव कार्यकारिणीं समिति के सक्षम विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

अशोक बंसल, शोभाराम राठौर, हाजी बिलाल कुरैशी, विजय सिंह, मनोज कुमार सोनी, जितेन्द्र शर, श्रीकृष्ण आदि सभी सदस्यगण – द्वारा विचारोपरान्त कहा गया कि यह महत्वपूर्ण मामला है सीलिए कार्यकारिणी के समक्ष विचारार्थ रखा गया है। इससे पूर्व भी इस मामले पर कार्यकारिणी एवं नगर निगम सदन में विचार–विमर्श हो चुका है। क्योंकि यह एक अहम् और गम्भीर मामला है अतः यह उचित होगा कि एक समिति का गठन मा0 महापौर द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कर दिया जाये और उक्त समिति, अपने गठन के 15 दिन के अन्दर सिन्धी मार्केट/हॉस्पिटल रोड की वाउन्डी के सहारे स्थित स्टॉलों को सड़क चौड़ी करने हेतु उन्हें हटाये जाने, खन्दारी चौराहे पर स्थित शैल्टर होम की दुकानों तथा नामनेर चौराहे पर स्थित नगर निगम की दुकानों के सम्बन्ध में भी अपनी आख्या/निर्णय से अवगत करादे। उपरोक्त तीनों मामलों में उक्त कमेटी नीतिगत निर्णय लेकर अपनी आख्या 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के उपरान्त ही इन मामलों में अग्रिम कार्यवाही की जाये।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मा0 महापौर द्वारा एक सप्ताह के अन्दर कमेटी का गठन कर दिया जाये, उक्त कमेटी अपने गठन के 15 दिन के अन्दर सिन्धी मार्केट/हॉस्पिटल रोड की वाउन्डी के सहारे स्थित स्टॉलों को सड़क चौड़ी करने हेतु उन्हें हटाये जाने, खन्दारी चौराहे पर स्थित शैल्टर होम की दुकानों तथा नामनेर चौराहे पर स्थित नगर निगम की दुकानों के सम्बन्ध में भी अपनी महत्वपूर्ण आख्या/नीतिगत निर्णय से अवगत करादे। कमेटी की रिपोर्ट आने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।**

मा0 सभापति एवं नगर आयुक्त – द्वारा ऑल इन्डिया मेयर कान्फ्रेन्स से सम्बन्धित रु0 1.20 लाख के लम्बित भुगतान को शीघ्र कराये जाने हेतु मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देश दिये गये।

नगर आयुक्त – द्वारा एजेन्डा के बिन्दु–4 प्रस्ताव संख्या–4 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–7548/नौ–4–10–55ई/01 नगर विकास अनुभाग–4 लखनउ दिनांक 13–जनवरी, 2011 एवं विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास अनुभाग–4, लखनउ के पत्र सं0– 01/नौ–4–16–05ज/11टी0सी0–1 दिनांक 15–जनवरी, 2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को आगरा नगर निगम में उ0प्र0 पालिका अभियन्त्रण (सिविल) सेवा के मानकों के पुनर्निर्धारण एवं उनमें न्यूनतम पदों के सृजन हेतु 1 मुख्य अभियन्ता, 2 अधीक्षण अभियन्ता, 4 अधिशासी अभियन्ता, 12 सहायक अभियन्ता, 36 अवर अभियन्ताओं के पदों को सृजित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ पढ़ा गया :–

प्रस्ताव संख्या – 4

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–7548/नौ–4–10–55ई/01 नगर विकास अनुभाग–4 लखनउ दिनांक 13–जनवरी, 2011 एवं विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास अनुभाग–4, लखनउ के पत्र सं0–01/नौ–4–16–05ज/11टी0सी0–1 दिनांक 15–जनवरी, 2016 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को नगर निगमों में उ0प्र0 पालिका अभियन्त्रण (सिविल) सेवा के मानकों के पुनर्निर्धारण एवं उनमें न्यूनतम पदों के सृजन हेतु भेजा गया है। जिसकी प्रति समस्त नगर निकायों को इस आशय से भेजी गयी है कि नगर निकायों से बोर्ड का प्रस्ताव तथा वित्तीय भार वहन करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शासन को 15–दिन के अन्दर उपलब्ध करायें, पत्र के साथ जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निकायों में सृजित किये जाने वाले पदों की सूची भी संलग्न की गयी है। जिसके अनुसार आगरा नगर निगम में पदों की स्थिति निम्नप्रकार है।

क0सं0	निकाय का नाम	जनसंख्या	मुख्य अभि0	अधी0 अभि0	अधि0 अभि0	सहा0 अभि0	अवर अभि0
1	आगरा नगर निगम, आगरा	15,85,704	1	2	4	12	36

अतः प्राप्त शासनादेशों से अवगत कराते हुए प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृत/अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

अशोक बंसल, शोभाराम राठौर, हाजी बिलाल कुरैशी, विजय सिंह, मनोज कुमार सोनी, जितेन्द्र शर, श्रीकृष्ण आदि सभी सदस्यगण – द्वारा विचारोपरान्त कहा गया कि अभियन्त्रण विभाग में भियन्ताओं की कमी होने के कारण ही पारित प्रस्तावों पर आगणन न बनने के कारण प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पाती है। अतः इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी से पारित करते हुए सदन में विचारार्थ अग्रसारित किया जाये।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से पारित करते हुए नगर निगम सदन में अनुमोदनार्थ भेजे जाने हेतु संस्तुति की गयी।**

<u>माननीय सभापति महोदय की विशेष अनुमति से</u> –

<u>आवश्यक प्रस्ताव संख्या – 3</u>

विशेष कार्याधिकारी, उ0प्र0 शासन, नगर विकास, अनुभाग–4 के पत्रांक–489/नौ–4–16–05ज0/11 टी0सी0–111, लखनउ, दिनांक 16–फरवरी, 2016 के द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय को नगर निगमों में उ0प्र0 पालिका अभियन्त्रण (विद्युत/यांत्रिक) सेवा के मानकों के पुनर्निर्धारण एवं उनमें न्यूनतम पदों के सृजन हेतु भेजा गया है। जिसकी प्रति समस्त नगर निकायों को इस आशय से भेजी गयी है कि नगर निकायों से बोर्ड का प्रस्ताव तथा वित्तीय भार वहन करने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शासन को 15–दिन के अन्दर उपलब्ध करायें, पत्र के साथ जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निकायों में सृजित किये जाने वाले पदों की सूची भी संलग्न की गयी है। जिसके अनुसार आगरा नगर निगम में पदों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क0सं0	निकाय का नाम	जनसंख्या	मुख्य अभि0	अधी0 अभि0	अधि0 अभि0	सहा0 अभि0	अवर अभि0
1	आगरा नगर निगम, आगरा	15,85,704	1	–	2	3	6

अतः प्राप्त शासनादेशों से अवगत कराते हुए प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष स्वीकृत/अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

सर्वश्री अशोक बंसल, शोभाराम राठौर, हाजी बिलाल कुरैशी, विजय सिंह, मनोज कुमार सोनी, जितेन्द्र पाराशर, श्रीकृष्ण आदि सभी सदस्यगण – द्वारा विचारोपरान्त कहा गया कि विद्युत/यांत्रिक विभाग में अभियन्ताओं की कमी होने के कारण ही शहर की मार्गप्रकाश व्यवस्था में आवश्यक सुधार एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अतः इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी से पारित करते हुए सदन में विचारार्थ अग्रसारित किया जाये।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से पारित करते हुए नगर निगम सदन में अनुमोदनार्थ भेजे जाने हेतु संस्तुति की गयी।**

नगर आयुक्त – द्वारा एजेन्डा के बिन्दु–5 प्रस्ताव संख्या–5 अमृत योजना में जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत सर्विस लेबिल इम्प्रूवमेंट प्लान (स्लिप) के समान कियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य की पैरास्टेटल एजेन्सी (उ0प्र0 जल निगम) नगरीय निकाय और उ0प्र0 शासन के मध्य एम.ओ.यू. निष्पादित कराने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ पढ़ा गया :–

<u>व संख्या – 5</u>

शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें (जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) मुहैया कराने के उद्देश्य त शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना आरम्भ की गयी है, जिसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2015–16 से लेकर वित्तीय वर्ष 2019–20 (पॉच वर्ष) तक नियत है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा :–

1. जलापूर्ति :

- मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने, जल शोधन संयंत्रों और सभी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली।
- शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।
- विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनःभरण के लिये जलाशयों का पुनरुद्धार।
- उन क्षेत्रों सहित जिनमें जल की गुणवत्ता सम्बन्धी समस्यायें हैं (उदाहरणार्थ आरसेनिक, फ्लोराइड) दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय षहरों के लिये विषेश जलापूर्ति प्रबन्धन

2. सीवरेज :

- मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवेज शोधन संयंत्रों के संवर्द्धन सहित विकेन्द्रीकरण, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियॉं।
- पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रों का पुर्नस्थापन।
- लाभकारी प्रयोजनों के लिये जल का पुर्नचक्रण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

3. सेप्टेज :

- मल गाद प्रबन्धन–कम लागत पर सफाई, परिवहन और शोधन।
- सीवरेज और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

इस योजना के अन्तर्गत उक्त घटकों (जलापूर्ति, सीवरेज व सेप्टेज) पर स्लिप (सर्विस लेविल इम्प्रूवमेंट प्लान) तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी। शासन द्वारा स्लिप पर स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

भारत सरकार द्वारा जारी अमृत कार्यक्रम की गाइडलाइन के प्रस्तर 8.1 में की गयी व्यवस्था के अनुसार आवश्यक उत्तर प्रदेश राज्य की पैरास्टेटल एजेन्सी (उत्तर प्रदेश जल निगम) नगरीय निकाय और उत्तर प्रदेश शासन के मध्य एम.ओ.यू. निष्पादित किया जाना है।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव कार्यकारिणी के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

सर्वश्री अशोक बंसल, शोभाराम राठौर, हाजी बिलाल कुरैशी, विजय सिंह, मनोज कुमार सोनी, जितेन्द्र पाराशर, श्रीकृष्ण आदि सभी सदस्यगण :– द्वारा विचारोपरान्त कहा गया कि शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमृत योजना आरम्भ की गयी है। अतः इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी से पारित करते हुए सदन में विचारार्थ अग्रसारित किया जाये।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव यथाप्रस्तावित सर्वसम्मति से पारित करते हुए नगर निगम सदन में अनुमोदनार्थ भेजे जाने हेतु संस्तुति की गयी।**

आयुक्त – द्वारा एजेन्डा के बिन्दु–6 उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 146 के निहित विधानों के अन्तर्गत नगर निगम, आगरा का मूल आय–व्ययक (बजट) वर्ष 2016–17 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ पढ़ा गया । इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय की विशेष अनुमति से जलकल विभाग का मूल आय–व्ययक (बजट) वर्ष 2016–17 भी कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया :–

सर्वश्री अशोक बंसल, शोभाराम राठौर, हाजी बिलाल कुरैशी, विजय सिंह, मनोज कुमार सोनी, जितेन्द्र पाराशर, श्रीकृष्ण आदि सभी सदस्यगण – द्वारा विचारोपरान्त कहा गया कि नगर निगम एवं जलकल विभाग के आय–व्ययक (बजट) वर्ष 2016–17 दोनों ही अति महत्वपूर्ण हैं और इन पर विस्तार से नगर निगम सदन में विचार–विमर्श एवं चर्चा की जायेगी। अतः नगर निगम, आगरा का मूल आय–व्ययक (बजट) वर्ष 2016–17 एवं जलकल विभाग का मूल आय–व्ययक (बजट) वर्ष 2016–17 कार्यकारिणी से यथाप्रस्तावित बिना किसी संशोधन के सर्वसम्मति से पारित करते हुए सदन में विचारार्थ अग्रसारित कर दिया जाये।

निर्णय :– **कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त नगर निगम, आगरा का मूल आय–व्ययक (बजट) वर्ष 2016–17 एवं जलकल विभाग का मूल आय–व्ययक (बजट) वर्ष 2016–17 यथाप्रस्तावित बिना किसी संशोधन के सर्वसम्मति से पारित करते हुए नगर निगम सदन में अनुमोदनार्थ भेजे जाने हेतु संस्तुति की गयी।**

नगर आयुक्त – द्वारा एजेन्डा के बिन्दु–7 उ0प्र0 नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77 के अनुसार वर्ष 2013–14 का वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ पढ़ा गया ।

सर्वश्री अशोक बंसल, शोभाराम राठौर, हाजी बिलाल कुरैशी, विजय सिंह, मनोज कुमार सोनी, जितेन्द्र पाराशर, श्रीकृष्ण आदि सभी सदस्यगण – द्वारा कहा गया कि आज से पहले कभी भी वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन कार्यकारिणी समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे सदन के अवलोकनार्थ अग्रसारित किया जाये।

मुख्य नगर लेखा परीक्षक – द्वारा अवगत कराया गया कि उ0प्र0 नगर निगम लेखा नियमावली के नियम–77 में इसका प्राविधान है। लेकिन विगत कई वर्षों से इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अब विशेष परिश्रम एवं अथक प्रयास से वर्ष 2013–14 का वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराकर आपके समक्ष अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया है।

मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी – द्वारा कहा गया कि नगर निगम, आगरा में प्रि–ऑडिट प्रणाली लागू है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक पत्रावली भुगतान से पूर्व प्रि–ऑडिट हेतु मुख्य नगर लेखा परीक्षक के कार्यालय में भेजी जाती है और यदि कोई वित्तीय अनियमितता अथवा आपत्ति लगाई जाती है तो उसका तत्काल निस्तारण करा दिया जाता है फिर ये ऑडिट आपत्तियॉ कैसे लम्बित रह गयीं। अब भविष्य में प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में पूरे माह की लम्बित ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि किसी भी दशा में नगर निगम को आर्थिक क्षति न हो सके।

नगर आयुक्त – द्वारा निर्देशित किया गया कि मुख्य नगर लेखा परीक्षक और मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में एक बार अपने स्तर से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के साथ बैठक करेंगें और उसमें जो भी लम्बित ऑडिट आपत्तियॉ हों उन सभी का निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करायेंगें तथा भविष्य में इस पर अवश्य अमल किया जाये। कोई भी ऑडिट आपत्ति लम्बित न रहने पाये।

य :– कार्यकारिणी समिति द्वारा उपरोक्त वर्ष 2013–14 के वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। भविष्य के लिए यह निर्देश दिये गये कि कम से कम ऑडिट आपत्तियाँ लगें इसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में मुख्य नगर लेखा परीक्षक, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के साथ बैठकर एक बैठक कर लिया करें और लम्बित आपत्तियों का तत्काल निराकरण कराया जाना सुनिश्चित करें।

मा0 सभापति – द्वारा सभी को धन्यवाद देते हुए आज के अधिवेशन की बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

(इन्द्रजीत आर्य)
महापौर,
नगर निगम, आगरा।